हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 24/3/20 को प्रस्तुत हो।

20

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 3/6/20 को प्रस्तुत हो।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 4/8/20 को प्रस्तुत हो।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 14/10 को प्रस्तुत हो।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 8/12/20 को प्रस्तुत हो।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 23/2/21 को प्रस्तुत हो।

पत्रावली पेश। वकील वादी श्री ... की तरफ से पेश करे, सुनवाई हेतु नियत। पत्रावली ... को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

FORM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ता ..... मुकाम .....

..... बनाम .....

इस्तगासा ..... नं. 43 सन् 2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2/ पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 16/8/21 को प्रस्तुत हो। पत्रावली पेश। वकील वादी मय वकील उपस्थित। वादी अभिभाषक पेश कर निवेदन किया कि उभय पक्षकारान ने मध्यस्थ समक्ष समझौता कर लिया है इसलिये मैं इस वाद को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ। अतः मेरी इस इकरार पर पत्रावली को मानते निरोध लगाकर करे, वकील वादी एवं वादी के निवेदन पर वादी की इस इकरार की जाती है तथा वादी का वाद मानते निरोध लगाकर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद नकल दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	

सेवा में,

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
महोदया सलीमाबाद

दावी)
ईश्वर सिंह

बनाम

प्रतिवादीगण
कानसिंह वगैरह

वाद अधीन धारा 53, 88, 188 of ALC

आवेदन वास्ते पत्रावली जरिये विड्रोवल खारिज कराने

मान्यवर महोदया,

प्रार्थी की ओर से निवेदन है —

(1) यह है कि उपरोक्त मामले के समझौते के बटवाड़े को लेकर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः कारण वाद चलाना नहीं चाहते।

(2) यह है कि आपसी सहमति से तकसीम मौखिक में बटवाड़ा कराने का पक्षकार तैयार है अगर किसी कारण वश बटवाड़ा नहीं होता है तो वादी अपना बटवाड़े का वाद पुनः पेश करने के लिए सुरक्षित रखना चाहता है।

(3) यह है कि उक्त पत्रावली जरिये विड्रोवल खारिज कराने का निवेदन है।

अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि उक्त पत्रावली को प्रार्थी (वादी) को पुनः वाद पेश करने के हितों को सुरक्षित रखते हुए जरिये विड्रोवल खारिज फरमावें।

दिनांक 16-8-2021।

ईश्वर सिंह